

उत्तरांचल शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 1473 A/कार्मिक-2/2002

देहरादून, 22 नवम्बर, 2002

अधिसूचना/प्रकीर्ण

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तरांचल के श्री राज्यपाल, राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवा में लगे सरकारी कर्मचारियों के प्रकरण को विनियमन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002

1-संक्षिप्त नाम-

यह नियमावली उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 कहलायेगी।

2-परिभाषाएं-

जब तक प्रसंग से अन्य कोई अर्थ अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

(क) “सरकार” से तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है।

(ख) “सरकारी कर्मचारी” से तात्पर्य ऐसे लोक सेवक से है, जो उत्तरांचल राज्य के कार्यों से सम्बद्ध किन्हीं लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त हो।

स्पष्टीकरण-किसी बात के होते हुए भी कि ऐसे सरकारी कर्मचारी का वेतन उत्तरांचल की संचित निधि से अन्य साधनों से आहरित किया जाता है, ऐसे सरकारी कर्मचारी भी, जिनकी सेवायें, उत्तरांचल सरकार ने किसी कम्पनी, निगम, संगठन, स्थानीय प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार को अर्पित कर दी हों, इन नियमों के प्रयोजनों के लिये, सरकारी कर्मचारी समझा जायेगा।

(ग) किसी सरकारी कर्मचारी के संबंध में, “परिवार का सदस्य” के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे:-

(1) ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी, उसका लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की, चाहे वह उसके साथ रहता/रहती हो अथवा नहीं, और किसी महिला सरकारी कर्मचारी के संबंध में, उसके साथ रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका पति, तथा

(2) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो रक्त संबंध से या विवाह द्वारा उक्त सरकारी कर्मचारी या संबंधी हो या ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी का या उसके पति का सम्बन्धी हो और जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो:

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी पत्नी या पति सम्मिलित नहीं होगी/सम्मिलित नहीं होगा, जो सरकारी कर्मचारी से विधितः पृथक की गई हो/पृथक किया गया हो या ऐसा लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की सम्मिलित नहीं होगा/सम्मिलित नहीं होगी जो आगे के लिये, किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नहीं है या जिसकी अभिरक्षा (Custody) से सरकारी कर्मचारी को, विधि द्वारा वंचित कर दिया गया हो।

3-सामान्य-

(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को राज्य कर्मचारी रहते हुए आत्यंतिक रूप से सत्यनिष्ठता तथा कर्तव्यपरायणता से अपने कार्यों का निर्वहन करना होगा।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को राज्य कर्मचारी रहते हुए उसके व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त विशिष्ट (Specific) या विवक्षित (Implied) शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करना होगा।

(3) कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध-

1-कोई सरकारी कर्मचारी किसी महिला के कार्यस्थल पर, उसके यौन उत्पीड़न के किसी कार्य में सलिप्त नहीं होगा।

2-प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो किसी कार्य स्थल का प्रभारी हो, उस कार्यस्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए “यौन उत्पीड़न” में, प्रत्यक्षतः या अन्यथा कामवासना से प्रेरित कोई ऐसा अशोभनीय व्यवहार सम्मिलित है जैसे कि—

(क) शारीरिक स्पर्श और कामोदीप्त प्रणय संबंधी चेष्टाएँ;

(ख) यौन स्वीकृति की मांग या प्रार्थना,

(ग) कामवासना—प्रेरित फब्तियाँ,

(घ) किसी कामोत्तेजक कार्य/व्यवहार या सामग्री का प्रदर्शन, या

(ङ) यौन संबंधी कोई अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक आचरण।

(4) कोई सरकारी कर्मचारी घरेलू कार्य में सहायता के रूप में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सेवायोजित नहीं करेगा।

सभी लोगों के साथ समान व्यवहार—

(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सभी जाति, पंथ (Sect) या धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार करना होगा।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी किसी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा।

4-क—मादक पान तथा औषधि का सेवन—

कोई सरकारी कर्मचारी—

(क) किसी क्षेत्र में, जहाँ वह तत्समय विद्यमान हो, मादक पान अथवा मादक औषधि संबंधी प्रवृत्त किसी विधि का दृढ़ता से पालन करेगा;

(ख) अपने कर्तव्यपालन के दौरान किसी मादक पान या औषधि के प्रभावाधीन नहीं होगा और इस बात का सम्यक् ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का पालन किसी भी ऐसे पेय या भेषज के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है;

(ग) सार्वजनिक स्थान में किसी मादक पान अथवा औषधि के सेवन से अपने को विरत रखेगा;

(घ) मादक पान करके किसी सार्वजनिक स्थान में उपस्थित नहीं होगा;

(ङ) किसी मादक पान या औषधि का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—एक—इस नियम के प्रयोजनार्थ “सार्वजनिक स्थान” का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान या परिसर (जिसमें कोई सवारी वाहन भी सम्मिलित है) से है, जहाँ भुगतान अथवा अन्य प्रकार से जनता को आने—जाने की अनुज्ञा हो।

स्पष्टीकरण—दो—कोई क्लब जहाँ—

(क) सरकारी कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों को सदस्य के रूप में प्रवेश की अनुमति देता है; अथवा

(ख) जिसके सदस्यों को उसमें अतिथि के रूप में गैर—सदस्यों को आमंत्रित करने की अनुज्ञा हो, भले ही सदस्यता सरकारी कर्मचारियों के लिए ही सीमित हो।

स्पष्टीकरण एक के प्रयोजनार्थ ऐसा स्थान समझा जायेगा जहाँ पर जनता आ—जा सकती हो या उसे आने—जाने की अनुज्ञा हो।

राजनीति तथा चुनावों में हिस्सा लेना—

(1) कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल का या किसी ऐसी संस्था का, जो राजनीति में हिस्सा लेती है, सदस्य न होगा और न अन्यथा उससे संबंध रखेगा और न वह किसी ऐसे आन्दोलन में या संस्था में हिस्सा लेगा, उसकी सहायतार्थ चन्दा देगा या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करेगा, जो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति ध्वंसक है या उसके प्रति ध्वंसक कार्यवाहियाँ करने की प्रवृत्ति पैदा करती है।

उदाहरण

राज्य में ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ राजनीतिक दल हैं।

‘क’ वह दल है जो सत्ता में है और जिसने तत्समय सरकार बनाई है।

‘अ’ एक सरकारी कर्मचारी है।

यह उप—नियम ‘अ’ पर सभी दलों के संबंध में, जिसमें ‘क’ दल भी, जो कि सत्ता में है, सहित प्रतिषेध करेगा।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, किसी ऐसे आन्दोलन या क्रिया (Activity) में, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति ध्वंसक है या उसके प्रति ध्वंसक कार्यवाहियाँ करने की प्रवृत्ति पैदा करती है, हिस्सा लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करने से रोकने का प्रयत्न करे, और, उस दशा में जबकि कोई सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या क्रिया में भाग लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति से मदद करने से रोकने में असफल रहे, तो वह इस आशय की एक रिपोर्ट सरकार के पास भेज देगा।

उदाहरण

‘क’ एक सरकारी कर्मचारी है।

